न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)
रीवा सर्किट कोर्ट

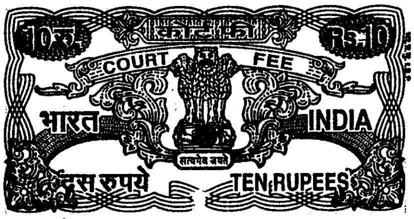

शिवकरण पिता त्रिवेणी साहू निवासी ग्राम डगा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

.... **आवेदक**

विरूद्ध

अमरनिया बेवा काशी व अन्य

..................**अनावेदकगण**

आवेदन पत्र धारा 35 (3)म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

आवेदन के आधार निम्न है :–

01. यह कि उक्त प्रकरण क्रमांक आर. 2131 II/15 मान्नीय न्यायालय के रीवा सर्किट कोर्ट में कायमी के बिन्दु पर दिनांक 27.11.2015 को नियत था, जिसमें आवेदक द्वारा रीवा सर्किट कोर्ट में दिनांक 15.09.2015 को प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र पीठासीन अधिकारी के रीवा कैम्प आने पर प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर प्रकरण शीघ्र सुनवाई में उसी दिनांक को लिया जाकर बोर्ड में रखा गया।

02. यह कि दिनांक 15.09.2015 को आवेदक एवं उसके अधिवक्ता शाम 6 बजें तक प्रकरण की सुनवाई हेतु न्यायालय में बैठे रहे किन्तु प्रकरण सुनवाई में नही हो पाई और प्रकरण सहवन आदेश के व स्ते में बध गया, जिसकी कोई जानकारी आवेदक व उसके अधिवक्ता को नही हो पाई।

03. यह कि दूसरे दिन दिनांक 16.09.2015 को भी उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–पुर्न.5109–II/15 जिला–सिंगरौली

शिवकरण साहू/ अमरनिया वगैरः

(1)	(2)	(3)
01.02.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	